A 7/1

राजस्व लोक अदालत –2015 कैम्प ग्राम पंचायत चांदेसरा

न्यायालय – सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 111/2014

प्रार्थीगण
1.गंगाराम पुत्र लाखाराम जाट
2.मानाराम पुत्र लाखाराम जाट
3. भगाराम पुत्र लाखाराम जाट
निवासी बोटाला पुरोहितान

बनाम

विप्रार्थीगण
1. केहरा पुत्र गिरधारी राईका,चांदेसरा
2. भाखरा पुत्र केहरा
3 विरधा उर्फ वरदाराम पुत्र लालाराम राईका
4 पारस पुत्र लालाराम राईका
5 चेतन पुत्र लालाराम राईका
6 श्रीमती हांसी पत्नि लालाराम राईका
7 श्रीमती पारू पत्नि विशना राईका
8 उम्मेदसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत
9 चुनाराम पुत्र खीयाराम जाट
10चूनीदेवी पत्नि लालाराम पुत्रवधु गोमा जाट
11 ग्रम पंचायत चांदेसरा जरिये संरपंच
12 तहसीलदार पचपदरा

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत बालोतरा 2015

दिनांक 14.07..2015

आदेश

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट चांदेसरा मे पेश हुई प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। पक्षकार उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि सरहद मौजा बोटाला पुरोहितान के खातेदारी खेत खसरा सं. 732/263 रकबा 29 बीगा 5 बिस्वा एंव मूल खसरा संख्या 278 मूल रकबा 81 बीगा 7 बिस्वा के (वर्तमान नये खसरा संख्या 734/278 रकबा 40 बीगा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 735/278 रकबा 40 बीगा 14 बिस्वा) उक्त दोनो खसरो की खतौनी जुदा जुदा है, किन्तु नक्शा लट्टा ट्रेस मे कोई तरमीम उक्त मूल खसरो मे से की हुई नही होने की वजह से दोनो तरमीमी खसरो मे से जो भी तरमीम भाग पडोसी खसरा संख्या 279 के जुडता लगता है, उस भाग के खसरे मे से मौजा बोटाला पुरोहितान के खेत खसरा सं. 277 रकबा 35 बीगा 04 बिस्वा स्थान तक रास्ता 15 फीट चौडाई मे कृषि उपयोग नया रास्ता धोषित करवाना चाहते है। पडौसी खसरा सं. 279 मे मौके पर रेत के बडे बडे व रेतीले टीले है जिनमे रास्ता बनाना संभव नही है। संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार बी से ए कटाण के रास्ते तक पंहुचने हेतु नये रास्ते की मांग की गई है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज के तलब किया गया । जो बाद तामिल के प्राप्त एवं अधिवक्ता उपस्थित होने के पश्चात जबाब पेश किया । तहसीलदार पचपदरा ने जरिये पत्रांक 1645 दिनांक 7.8.2014 के अनुसार ग्रम

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा

Scanned by CamScanner

A 1/2

बोटाला पुरोहितान मे खसरा नंबर 278 व खसरा नंबर 732/263 मे से 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार खसरा नंबर 278 मे रकबा 1.05 बीगा व खसरा नंबर 732/263 मे रकबा 0.10 बीगा कुल भूमि रकबा 1.15 बीगा बनती है जो नजरी नक्शा अनुसार है।

पुनः तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर जरिये पत्रांक 572 दिनांक 6.5.2015 के अपनी जाचं रिपोर्ट के जाहिर किया कि ग्रम बोटाला पुरोहितान के खसरा नंबर 278 व व खसरा नंबर 732/263 मे से से 15 फीट चोडा रास्ता प्रस्तावित है जिसमे ए से बी तक प्रस्तावित था जबकि बिन्दु डी से ए मे मौके पर टीला होन से उक्त रास्ता बिन्दु डी से डाईवर्ट किया जाकर बिन्दु बी से सी तक प्रस्तावित किया है जो उचित है। अतः मौका अनुसार उक्त भूमि का कुल रकबा 1.15 बीगा बनता है जो नियमानुसार अवाप्त किये जाने की अनुशंषा की जाकर पालना रिपोर्ट मय नक्शा प्रति श्रीमान की सेवामे प्रेषित है इसके अलावा अन्य रास्ते हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। अतः प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी का रास्ता है।

विप्रार्थी सं. 3 व 9 ने अपने जबाब दिनांक 24.2.2015 के प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट 'अ' मे दर्शाये गये रास्ते की मांग पूर्णतया गल्त है जिस रास्ते बाबत मौका की जाचं कर तथ्यात्मक जांच कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से मंगवाई गई उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर तैयार नही की गई जो हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है । सक्षम अधिकारी से मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाई जावे मौका रिपोर्ट गल्त होने से विप्रार्थीगण को अस्वीकार है। विप्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट 'बी' मे ए से बी रास्ता हेतु प्रस्तावित किया है। डामर सडक से प्रस्तावमि

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्ष्कष पर पंहुचे है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने की मॉग परिशिष्ट 'अ' अनुसार व तहसीलदार द्वारा जरिये पत्रांक 572 दिनांक 6.5.2015 के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तुत टिप्णी बिन्दू ए से बी तक प्रस्तावित भूमि मे बिन्दू ए पर वर्तमान मे मौके पर धोरा होने से बी से सी तक रास्ता अवाप्त किया जाना उचित रहेगा, जो तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक 1645 दिनांक 7.8.2014 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' से आंशिक भिन्न है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे रास्ते की भूमि ए से बी 15 फीट चौडा व तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जाचं रिपोर्ट दिनांक 6.5.2015 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कुल रकबा 1.15 बीगा नये रास्ते की भूमि हेतु भूमि अवाप्ति हेतु देने पर उक्तानुसार मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के अनुसार प्रतिबीगा 15070/—रूपये प्रतिबीगा देय होते है। नये रास्ते हेतु अवाप्त सुदा भूमी 1.15 बीगा भूमी की राशि रूपये 26372/— का दुगना 52745/— अक्षरे रूपये बावन हजार सांत सौ पैतालीस मात्र देय होते

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा

Scanned by CamScanner

A7/3

है ,जो प्रार्थीगण से वसूल कर विप्रार्थीगण खातेदार दिलाया जाना उचित है। प्रस्तावित नये रास्ता की भूमि ग्राम बोटाला पुरोहितान मे खसरा नंबर 278 व खसरा नंबर 732/263 मे से 15 फीट चौडा रास्ता कुल रकबा 1.15 बीगा भूमि नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड मे भूमी रास्ते के उपयोग हेतु तरमीम के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा नजरी नक्शा(06.05.2015) अनुसार व आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करे प्रार्थी मुआवजा की राशि रूपये 52745/– अक्षरै रूपये बावन हजार सांत सौ पैतालीस मात्र विप्रार्थी खातेदारान को अदा करे या विप्रार्थी द्वारा राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत जायेगी।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा बोटाला पुरोहितान के खसरा नंबर 278 व 732/263 मे नजरी नक्शा तहसीलदार पचपदरा दिनांक 7.8.2014 व 6.5.2015 मार्क बी से सी तक 15 फीट चौडाई का नया रास्ता धोषित किया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा
केम्प चारेसरा 2015

Scanned by CamScanner